न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00116

1. संतोष पुत्री रामनारायण जाति धाकड ।
2. ममता पुत्री रामनारायण जाति धाकड ।
3. ललता पुत्री रामनारायण जाति धाकड ।
4. देऊ बाई पत्नी रामनारायण जाति धाकड निवासीगण मोडक गॉव तहसील रामंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीराम आत्मज हीरालाल जाति धाकड ।
2. रघुनाथ आत्मज हीरालाल जाति धाकड ।
3. राधेश्याम आत्मज हीरालाल जाति धाकड ।
4. संतोष बाई पुत्री हीरालाल जाति धाकड ।
5. हीरालाल आत्मज किशना जाति धाकड निवासीगण मोडक गॉव तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दीपक साहू, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बी0सी0 मालवीय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,. रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मोडक गॉव तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खसरा नम्बर 705

रकबा 1.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 1411 की 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 1416 की 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1604 की 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 1605 की 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 1608 की 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 1609 की 0.03 हैक्टर कुल 07 किता की 2.46 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा खाते में दर्ज था । उक्त भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है। वर्तमान सेटलमेंट के बाद उक्त आराजी पर सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दिया गया है जबकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है । प्रार्थीगण का अपने 1/2 हिस्से आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त परिस्थिति में प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें कि उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर दौराने वाद प्रार्थीगण को काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे और उक्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण को काश्त करने में रूकावट नहीं डाले । अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करें तथा प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहने दें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.03.2015 के द्वारा ताफैसला वाद सहमति के आधार पर वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.03.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रिकॉर्ड को नजरअन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है जबकि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । वैधानिक प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार की सहमति अपने अधिवक्ता को नहीं दी थी । अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ताओं द्वारा कोल्यूजन के आधार पर यथास्थिति के आदेश पारित करवा लिये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी की दिनांक 21.08.2020 को नकल निकलवाने पर हुई । जानकारी होने पर अपीलान्ट ने जब अपने अधिवक्ता ने सम्पर्क किया तो जानकारी हुई कि उनके अधिवक्ता का दिनांक 29.07.2020 को स्वर्गवास हो गया है । इस पर अपीलान्ट द्वारा अपने नये अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाधीन

निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.03.2015 को धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को सहमति के आधार पर निस्तारित करते हुए रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य एवं रिकॉर्ड को नजरअन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट इस आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । विधिक प्रावधानों के अनुसार खातेदार कृषक के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अपीलान्ट ने सहमति नहीं दी थी अधिवक्ताओं के द्वारा कोल्यूजन के आधार पर यथास्थिति के आदेश पारित किये है । अपीलान्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । अपीलान्ट की सहमति नहीं है । अपीलान्ट ने विलम्ब के शमन के लिए धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2014 पेज 523, आरआरटी 2006–07 (सप्ली0) पेज 443, आरआरटी 2004 (2) पेज 758 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने सन् 2015 के निर्णय के खिलाफ सन् 2020 में अपील पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण स्पष्ट नहीं किया गया है । दोनों पक्षों की सहमति से यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है । इंतकाल जिसके आधार पर अपीलान्ट खातेदार घोषित किया गया है उसको जिला कलक्टर के द्वारा निरस्त किया जा चुका है और प्रकरण नायब तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया है । अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के द्वारा भी अपील खारिज की जा चुकी है । सहमति के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2015 बहाल रखा जावे।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना रेस्पोडेन्टगण ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है । इस प्रार्थना पत्र के साथ फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 पेश की है जिसमें रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक दर्ज हैं । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2050–53 पेश की गई है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी रामनारायण पुत्र हीरालाल व रामचन्द्री जोजे हीरालाल के खातेदारी में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति पेश की गई है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2037–40 एवं सवंत् 2054–57 भी पेश की है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.03.2015 के अनुसार पक्षकारान ने वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए सहमति व्यक्ति है । आदेशिका पर अपीलान्टगण के अभिभाषक और रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक के हस्ताक्षर हैं । इस प्रकार सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिसके खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी सहमति के बिना उनके अभिभाषक ने सहमति व्यक्त की थी तो परीक्षण न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र लगाने के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु सहमति के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । साथ ही अपील दिनांक 26.03.2015 के निर्णय के खिलाफ लगभग 05 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2015 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 15.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/1/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा